

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़

ब्लॉक-01, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर

E-Mail ID- dir.treasury.cg@nic.in, Website - ekoshonline.cg.nic.in, Phone No. 0771-2420015

कमांक/ई-कोष/46/2024/476 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/04/2024
प्रति,

समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय :- कार्मिक संपदा मॉड्यूल में अपडेशन हेतु प्रावधान के संबंध में।

विषयांतर्गत वर्ष 2018 से लागू किये गये कार्मिक संपदा मॉड्यूल जो कि ई कोष के अंतर्गत है, में प्रतिदिन विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त पत्रों के आधार पर सहमति दिये जाने के संबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न विवरणों में भी आंशिक संशोधन किया गया है जो कि निम्नानुसार है-

1. कार्मिक सम्पदा मॉड्यूल में कर्मचारी के व्यक्तिगत विवरण में सुधार आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

क्र.	विवरण	संशोधन हेतु प्रावधान	
		सेवारत शासकीय सेवक	शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद
1	कर्मचारी का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन
2	पिता का नाम		
3	जन्म तिथि		
4	पदग्रहण तिथि		
5	GENDER		
6	पदनाम		
7	नॉमिनी		
8	सेवानिवृत्ति का प्रकार		

2. कार्मिक सम्पदा में DDO MAKER एवं DDO CHEKER में दर्ज होने वाले मोबाईल नं. का updation/ change विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जा सकेगा।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खातों (current account) का अपडेशन विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जा सकेगा।
4. DDO के current account की प्रविष्टि की स्थिति e-Payroll से स्थानांतरित कर e-Bill में किया गया है।
5. कर्मचारी के Salary Account का updation/change करने की वर्तमान व्यवस्था में कार्मिक सम्पदा एवं Treasury Login/Admin Login में प्रदाय किया गया था जिसे हटाकर केवल DDO के कार्मिक सम्पदा Login में प्रदाय की गई है।
6. कार्मिक सम्पदा मॉड्यूल में सेवानिवृत्ति का प्रकार JD login में निम्नानुसार विकल्प दिया गया है :-
 - a. अधिवार्षिकी
 - b. ऐच्छिक सेवानिवृत्ति
 - c. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
 - d. सेवात्याग

49

- e. मृत्यु
- f. निलंबित
- g. लंबी अवधि से अनुपस्थित

7. कार्मिक सम्पदा मॉड्यूल के नियुक्ति/पदस्थापना विवरण में प्रशासकीय विभाग का चयन करने पर DROP DOWN BOX में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की सूची में दर्शित होगी तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पदनाम अंतर्गत DROPDOWN BOX में DDO के स्थान पर कार्यालय प्रमुख किया गया है।
8. कर्मचारी के सेवानिवृत्ति उपरांत PPO जारी हो जाने के बाद कर्मचारी के विवरण में आवश्यक बदलाव किये जाने का अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय स्तर पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /ईकोष/46/2022/6668 दिनांक 15.03.2022 अनुसार दिया गया है।
9. DDO निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी के डाटा को नये DDO में स्थानांतरित करने का अधिकार संभागीयसंयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय स्तर पर दिया गया है।
10. शासकीय कर्मचारी के मूलवेतन में बदलाव वर्तमान में e-payroll से किया जाता है, इसे परिवर्तित कर कार्मिक सम्पदा में मूलवेतन इन्द्राज की व्यवस्था दिया गया है तथा इसे e-payroll से लिंक किया गया है। यह व्यवस्था माह मई 2024 के वेतन से लागू की जावेगी। अतः अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को एक माह के अंदर कार्मिक संपदा मॉड्यूल में वर्तमान मूलवेतन अद्यतन करने अवगत करावे।

उपरोक्तानुसार कार्मिक संपदा मॉड्यूल में प्रावधान के संबंध में अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

Alpana
26/4/24
(डॉ. अल्पना घोष)
अपर संचालक
कोष, लेखा एवं पेंशन

क्रमांक/ई-कोष/46/2024/ 477 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/04/2024
प्रतिलिपि :-

संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/
अंबिकापुर/दुर्ग की ओर लेख है कि उपरोक्तानुसार संभागीय स्तर पर होने वाले अपडेशन हेतु
कार्यालयीन निर्देश जारी किया जावे।

Alpana
26/4/24
अपर संचालक
कोष, लेखा एवं पेंशन